

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 486/2026

Subhash chand Son Of Shri Jagdish, Aged About 52 Years,
Resident Of Maharajpura, Police Station Bhusawar, District
Bharatpur. Present Address 13/726, Malviya Nagar, Jaipur, Thana
Jawahar Circle, Jaipur. (Presently Confined In Central Jail Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 407/2026

M. P. Meena Son Of Shri Mansingh, Aged About 26 Years,
Resident Of Maharajpur, Police Station Bhusawar, District
Bharatpur, (Raj.). (Presently Confined In Central Jail, Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Saurabh Tiwari, Adv. Mr. Arvind Sharma, Adv. Mr. Ajay Kumar Sain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

04/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत पृथक-पृथक सजा स्थगन/जमानत आवेदनों पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (जाली नोट प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 23/2021 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2026 के माध्यम से अभियुक्तगण को धारा 489बी भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम चार वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रार्थी—अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। दौराने अन्वीक्षा अभियुक्तगण जमानत पर रहे हैं तथा वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं, दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर नहीं रही है। अपीलों में अभियुक्तगण के सफल होने की पूर्ण संभावना है, किन्तु उनके निस्तारण में समय लगेगा, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदनों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

अभियुक्तगण पर कुल 17 जाली नोट अपने कब्जे में रखने का आरोप है, दौराने अन्वीक्षा अभियुक्तगण पर जमानत पर रहे हैं, अभियुक्त की सजा अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्ध सजा के मुकाबले करीब तीन माह से अधिक अवधि की सजा भुगत चुके हैं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जो तर्क उठाये हैं, वे गंभीरता से विचारण योग्य हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्त द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपीलों में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः उक्त सभी सजा स्थगन प्रार्थना पत्र **कमशः** प्रार्थी—अभियुक्तगण 1. सुभाष चन्द पुत्र जगदीश तथा 2. एम.पी. मीना पुत्र

मानसिंह की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि वे इस न्यायालय में दिनांक **04.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय** द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **21.02.2026** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इन अपीलों के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J